उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

मकान नियंत्रण अपील संख्या – 26/2018

प्रकाश महतो बनाम् शिवानी मिश्रा एवं राज्य

की क्रम ख्या तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
/2019	–:: **आदेश** ::–	

अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना एवं निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा भवन किराया एवं बेदखली वाद सं0–06/2017 शिवानी मिश्रा बनाम प्रकाश महतो में दिनांक 06.07.2018 को पारित आदेश में उल्लेखित भूमि से अपीलार्थी का कोई सरोकार नहीं है। बहस के दौरान न्यायालय के संज्ञान में लाया गया कि वाद में उल्लेखित प्रश्नगत भूमि का प्रकार केशरे हिन्द है, जिसका हस्तानान्तरण/नामान्तरण नहीं किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा प्रश्नगत् भूमि के बावत किसी पक्षकार के हक में Eviction आदेश पारित कराना विधि संगत् नहीं।

अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी द्वारा दायर अपील आवेदन **अस्वीकृत** किया जाता है। अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ को आदेश दिया जाता है कि संबंधित प्रश्नगत भूमि के बावत् यह सुनिश्चित् कर लिया जाय की उक्त भूमि केसरे हिन्द/सरकारी नहीं है, तत्पश्चात Eviction की कार्रवाई की जाय, यदि केसरे हिन्द/सरकारी भूमि है तथा वर्त्तमान में कब्जाधारी के द्वारा अनाधिकृत्त रूप से दखल कब्जा किया हुआ है, तो BPLE Act. (Bihar Public Land Encrochment Act.) प्रावधन के तहत् अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करने की कार्रवाई की जाय। इसी आदेश के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

647/विवि
19/09/2019

लेखापित एवं संशोधित

07/08/19
उपायुक्त
रामगढ़।

07/08/19
उपायुक्त,
रामगढ़।